न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी - मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/301

मन्ना लाल आत्मज पांच्या जाति माली निवासी ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राजस्थान)

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहसः– श्री तेजसिंह धाबाई, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 16.09.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 29/2025 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया गया कि वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 172/565 रकबा 0.32 हैक्टेयर गत खसरा नम्बर 189 है तथा ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 119 रकबा 0.62 हैक्टेयर गत खसरा नम्बर 105 है जो कि वर्तमान में वादी के गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा जिस पर वादी काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। उक्त कृषि आराजीयात का आवंटन वादी के पिता पांच्या पुत्र गणेश को किया गया था। आवंटन के पश्चात से ही वादी के पिता उक्त आराजीयात को काश्त करते रहे व लगान अदा करते रहे। वादी के पिता की मृत्यु के

पश्चात से ही वादी उक्त आराजीयात को काश्त करता आ रहा है तथा राजस्व जमा करता आ रहा है। वादी तथा उसके पिता द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को वर्षों से लगातार काश्त कर आराजीयात को उपजाऊ बनाया तथा प्रत्येक वर्ष उस पर फसल पैदा करते आ रहे है। वर्तमान में उक्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में वादी की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जिसे वादी खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज करवाना चाहता है क्योंकि आवंटन के पश्चात से ही वादी के पिता को गैर खातेदारी अधिकार सन् 1973 में प्रदान किए गए थे। तत्पश्चात से ही वादी के पिता उसके पश्चात वादी द्वारा आराजीयात को लगातार काश्त कर रहे है। उक्त आराजीयात गैर खातेदारी में दर्ज होने के पश्चात राजस्व वादी के पिता द्वारा अदा किया जाता रहा है व वादी के पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात वादी द्वारा अदा किया जाता रहा है जिससे वादी खातेदार के रूप में नाम दर्ज करवाने का अधिकारी हो चुका है। वादी काश्तकारी के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करता है तथा काश्तकारी पर ही वादी का जीवन निर्भर है। इसी से ही वादी अपने परिवारजन का भरण पोषण करता है तथा वादी के पिता द्वारा आवंटन नियमों की पूर्ण पालना करने पर ही उक्त आराजीयात के वादी की गैर खातेदारी में दर्ज किया गया है। तत्पश्चात वादी के पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिए जाने का खर्चा भी जमा करवाने को तैयार है तथा वादी द्वारा उक्त आराजी पर प्रत्येक वर्ष फसल पैदा की जाती रही है तथा भूमि को उपजाऊ बनाया गया है और वादी को खातेदारी दर्ज किए जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। उक्त आराजीयात को वादी की गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया तो वादी काश्तकार को कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा जिससे उन्नत व आधुनिक खेती कर सकेगा। वादी द्वारा प्रतिवादी के समक्ष दिनांक 18.06.2015 को प्रार्थना–पत्र पेश कर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज किए जाने की प्रार्थना की गई थी। जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि वादी द्वारा पूर्व व वर्तमान के राजस्व रिकॉर्ड के दस्तावेज भी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न कर पेश कर दिए गए थे। इस कारण यह वादपत्र वादी द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजीयात को वादी की गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वादी आवंटन दिनांक से ही उक्त आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काश्त कर रहे है। अन्त में वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम अरलिया जागीर की खसरा संख्या 172/565 रकबा 0.32 हैक्टेयर व ग्राम अरण्डखेड़ा की खसरा नम्बर 119 रकबा 0.62 हैक्टेयर कृषि आराजीयात को वादी की गैर खातेदारी से खातेदार काश्तकार के अधिकार प्रदान कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें।

3. उक्त आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2025 द्वारा वादी अपीलान्ट का वादपत्र खारिज कर दिया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 29/2025 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी एकपक्षीय बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गयी तनकीयात तनकी नं० 1 अपीलांट द्वारा साबित की गयी है उक्त तनकी को साबित करने हेतु अपीलांट द्वारा राजस्व रिकार्ड के दस्तावेज प्रस्तुत किए है तथा साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत कर तनकी को निर्णित किया है इसी प्रकार अपीलांट द्वारा तनकी नं0 2 जिसमे उक्त आराजी को आलनिया सिंचाई परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र मे होने का उल्लेख किया है उक्त तनकी को प्रतिवादी के जवाब से कायम की गयी है प्रतिवादी द्वारा उक्त तनकी को साबित करने हेतु ठोस दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नही की गयी है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्रतिवादी के जवाब को आधार मानते हुए उक्त तनकी को प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की गयी तथा तनकी नं0 3 जो कि कमाण्ड क्षेत्र का क्षेत्राधिकार नही होने तथा उपखण्ड अधिकारी को होने से उक्त तनकी भी प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की गई। जबकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी कोटा को अंतरित की गयी जिस पर उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 12–3–2025 के पत्र मे उल्लेख किया गया कि उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार सहायक कलेक्टर कोटा को होने से पत्रावली उपखण्ड अधिकारी द्वारा सहायक कलेक्टर कोटा को अंतरित कर दी गयी। इस प्रकार उक्त

पत्रावली को सुनने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को होने पर वाद खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अपीलांट द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्थान राजस्व बोर्ड द्वारा निर्णित नजीर 2014 (2) आर.आर.डी. 1220 मोहम्मद दीन बनाम सब डिवीजनल आफिसर प्रस्तुत की गयी थी उक्त नजीर मे माननीय राजस्व बोर्ड द्वारा यह आदेश दिया था कि "गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदारी दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया 44 वर्ष पूर्व भूमि का आवंटन किया गया आवंटन के तीन वर्ष बाद स्वतः ही 1970 के नियमो के नियम 18 के अंतर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान करने का तहसीलदार का कर्तव्य है तथा उक्त कर्तव्य तहसीलदार को निभानी चाहिए वह जिम्मेदारी तहसीलदार ने अदृष्य कारणो से नही निभायी व इससे उपर के अधिकारियो ने भी जिनका दायित्व वार्षिक निरीक्षण तथा चौसाला जमाबंदियो की जांच के दौरान इन्द्राज को देखा जाना है वह दायित्व निभाने मे पूर्णतया व दयनीय तौर पर असफल रहे उसी का नतीजा है कि किसी गरीब व दूर क्षेत्र के काश्तकार को राजस्व मण्डल तक आना पडा यह राजस्व प्रशासन व प्रशासनिक व्यवस्था के हास व अनियंत्रण को दर्शाता है जिसमे सुधार लाना समय की मांग है।" उक्त निर्णय को भी नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने मे विधि की भूल कारित की है।अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी को अपीलांट की गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान करने का विधिवत वाद प्रस्तुत किया गया था जिसका श्रवणाधिकार अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा को प्राप्त है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को स्वयं के श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार का नहीं होने के आधार पर खारिज किए जाने का आदेश अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2025 में अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। आवंटन की दिनांक से ही अपीलांट के पिता तथा उनकी मृत्यु के पश्चात स्वयं अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी को स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2025 निरस्त किए जाने तथा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 172/565 रकबा 0.32 हैक्टेयर का वादी अपीलांट को खातेदार घोषित किए जाने का निवेदन किया ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट की ओर से ग्राम अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 172/565 रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उसके पिता पांच्या पुत्र गणेश की आवंटनशुदा भूमि है जो वर्तमान में अपीलांट की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी सरकार द्वारा अपने जवाबदावे में कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी अलनिया सिंचाई परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में आती है तथा कमाण्ड क्षेत्र में खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है, ऐसी स्थिति में अपीलांट वादी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानानुसार उपनिवेशन क्षेत्र में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर आवंटन के 3 वर्ष की अवधि के पश्चात कय राशि तथा राज्य सरकार को संदाय किये जाने तथा समस्त अनुबंधों के सम्यक रूप से अनुपालान किये जाने पर आवंटी सनद फीस का संदाय सरकार को संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर खातेदारी प्राप्त कर सकता था परन्तु वादी अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोटा को कोई आवेदन प्रस्तुत किए बिना ही वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.07.2025 में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार तथा लोक अधिकारी को 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित नहीं किए जाने तथा वादपत्र के साथा धारा 80 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किए जाने एवं सक्षम प्राधिकारी कोटा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है। हमने सी. पी.सी. की धारा 80 का अवलोकन किया जो जिसके अनुसार "सरकार के विरूद्ध या ऐसे कार्य बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्यित है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, लोक अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक वाद हेतुक का वादी के नाम, वर्णन और निवास स्थान का और जिस अनुतोष का वह दावा करता है उसका, कथन करने वाली लिखित सूचना–राज्य सरकार अथवा लोक अधिकारी को परिदत्त किये जाने या उसके कार्यालय में छोड़ जाने के पश्चात, दो मास का अवसान न हो गया हो, और वादपत्र में यह कथन अन्तविष्ट होगा कि ऐसी सूचना ऐसे परिदत्त कर दी गई है या छोड़ दी गई है सरकार के विरूद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्यित है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, लोक अधिकारी के विरूद्ध, कोई अत्यावश्यक या तुरन्त अनुतोष

अभिप्राप्त करने के लिए कोई वाद, न्यायालय की इजाजत से, उपधारा(1) द्वारा यथाअपेक्षित किसी सूचना की तामील किए बिना, संस्थित किया जा सकेगा, किन्तु न्यायालय वाद में अनुतोष, चाहे अन्तरिम या अन्यथा, यथास्थिति सरकार या लोक अधिकारी को वाद में आवेदित अनुतोष की बाबत हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् ही प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादी अपीलांट द्वारा केवल राजस्थान सरकार को पक्षकार कायम किया गया है तथा अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण में केवल राजस्थान सरकार के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। अतः वादी अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण में वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के अनुसार सूचित किया जाना आवश्यक था। साथ ही प्रकरण में अत्यावश्यक या तुरन्त अनुतोष प्राप्त करने की आवश्यकता होने की दशा में धारा 80 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं होने की दशा में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी. मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। परन्तु वादी अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ना तो राज्य सरकार(लोक अधिकारी) को सूचित किया गया और ना ही वादपत्र के साथ धारा 80 सी.पी. सी. का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद सी.पी.सी. की धारा 80(1) में विहित प्रावधानों के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2025 में वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद को सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 80 के अभाव में खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 29/2025 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2025 यथावत रखी जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025 / 301

मन्नालाल आत्मज पांच्या जाति माली निवासी ग्राम अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीदलार लाडपुरा जिला कोटा राज0 **–रेस्पोडेन्ट**

वाद संख्या: 29 / 2025

मन्नालाल आत्मज पांच्या जाति माली निवासी ग्राम अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीदलार लाडपुरा जिला कोटा राज0

–प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 29 / 2025 में न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2025 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

उक्त अपील तारीख 16.09.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री तेजसिंह धाबाई के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 29/2025 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2025 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 16.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

16/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

मुहर